**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़**

पीठासीन अधिकारी का नाम : दीपेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 33/2018 (राजस्व अपील)** **दायर दिनांक** 23.10.2018

1. श्री उदा उर्फ उदयलाल पिता देवजी नायक, निवासी सरोपा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रामेश्वर पिता देवजी नायक, निवासी सरोपा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

..... अपीलांट

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार कपासन,
तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार कपासन बमिसल नं. 137/2018 निर्णय दिनांक 18.09.2018

उपस्थितः– वकील अपीलान्टः– श्री सुरेश शर्मा

विपक्षी :– पैरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनांक** 18.01.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय, नियम, एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का लांगच के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने सम्वत् 2075 में ग्राम सरोपा की बिलानाम आराजी नम्बर 142 कुल किता 1 रकबा 0.68 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर पर अतिक्रमण कर बाडा बनाया है जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही कर बेदखल किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्टगण का बाडा वर्षो से बना हुआ है, जिसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलान्टगण को उक्त बाडा विरासत से प्राप्त हुआ है। पटवार

हल्का द्वारा कभी भी कोई कार्यवाही पूर्व में नही की गयी है। इस पत्रावली के साथ ही पूर्व बेदखली पर्चा आदि भी सलंग्न नही है एवं आदेश में भी पूर्व बेदखली पर्चा आदि किये जाने की कोई दिनांक एवं मिसल नम्बर अंकित नही है। जो रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा बनायी गयी है, उसमें भी कोई अंकन पूर्व बेदखली का नही है केवल मात्र कयास के आधार पर ही सिविल कारावास की सजा दी जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 18.09.2018 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रालवी तलब की गयी।

प्रकरण पर बहस सुनी गयी जिसमें वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में बिना सुनवाई किये विधि विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। चुंकि पटवारी हल्का लांगच द्वारा प्रस्तुत अतिक्रण की रिपोर्ट पर पर्चा मौका पर किसके हस्ताक्षर है पूर्ण विवरण नही है। पश्चातवर्ती के संबंध में पर्चा मौका, रिकार्ड, रिपोर्ट आदि नही है। गलत प्रक्रिया अपनाई जाकर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती माना जाकर निर्णय पारित किया है। भूमि बिलानाम होकर मौके पर अपीलान्टगण का कब्जा बाडे के रूप मे है। एक माह तक न्यायिक अभिरक्षा में भी अपीलान्ट रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जिसको निरस्त किया जाने का आदेश पारित करावें।

प्रकरण पर पैराकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया है जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

प्रकरण पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सरोपा तहसील कपासन की राजकीय बिलानाम भूमि

आराजी नम्बर 142 रकबा 0.68 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर भूमि पर अपीलान्टगण द्वारा अतिक्रमण कर मौके पर बाडा बना रखा है इस संबंध में पश्चावर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्टगण को तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 13.08.2018 के अवलोकन से गत वर्ष उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का अंकन नही है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि गत वर्ष भी अपीलान्टगण का इस भूमि पर कब्जा रहा हो। पर्चा मौके पर भी अपीलान्टगण के अतिक्रमी के रूप में हस्ताक्षर नही है। अन्य दो व्यक्ति किशन एवं भैरू के हस्ताक्षर अंकित है, परन्तु इनके सकुनत एवं वलदियत का पूर्ण विवरण नही है, जिससे यह ज्ञात नही होता है कि यें व्यक्ति ग्राम सरोपा के निवासी है। फर्द अहकाम विवरण पर भी अतिक्रमी/अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय नही दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी/अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख एवं मौका स्थिति की जांच नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ